न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार मीणा RTS सरदारशहर

प्रा.पत्र 05/2022 सन् 2022 ता.फैसला 25.07.2022

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी देराजसर, सरदारशहर
2. पृथ्वीसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी देराजसर, सरदारशहर

:–प्रार्थीगण

बनाम

1. पर्वतसिंह पुत्र अन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी देराजसर, सरदारशहर

:–अप्रार्थीग

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा.का.अधिनियम 1955

:–निर्णय:–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के नाम खेत ख. नं. 133 व 149 तादादी रोही मौजा देराजसर तहसील सरदारशहर में स्थित है। जिसका रास्ता खेत खसरा नं 173 जो गांव की आबादी के दक्षिणी दिशा में चिपता हुआ है सें होकर प्रार्थीगण के खेतों का सदामत का रास्ता गुजरता है।। इस खेत में से प्रार्थीगण का सदामत का रास्ता प्रार्थीगण के खेतों के साथ–साथ 40 अन्य खेतों के काश्तकारों का रास्ता भी है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण व उसके परिजन अपने खेतों में आवागमन करते आ रहे है। माह जनवरी 2020 के अंत में में अप्रार्थी हमारा रास्ता रोक लिया तथा हमारे इस रास्ते से जाने के लिए रूकावट पैदा की और कहा कि हम इस रास्ते से नहीं जाने देंगे जबकि हम वर्षो से इसी रास्ते का उपयोग आवागमन हेतु कर रहें है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता हमारे खेत में आवागमन का नहीं है। प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री समुन्द्रसिंह राठोड़ निवेदन किया कि इस रास्ते को अविलम्ब खुलवाया जाना आवश्यक है।

हमने पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में दर्ज कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया। अप्रार्थी को नोटिस की विधिवत तामील हो चुकी है। नोटिस के प्रत्युतर में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरदास स्वामी व श्री प्रीतमसिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा। निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 28.02.2022 को अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया जाकर जवाब पेश करने हेतु समय चाहा तथा आगामी तारीख पेशी [illegible].03.2022 को भी अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश न किया जाकर न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सरदारशहर का स्थगन आदेश पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar Meena
Date: 2022.08.03 11:34:14 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सरदारशहर

इसके पश्चात कई तारीख पेशी निकल जाने के बाद भी विद्वान अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया और हर अवसर पर न्यायालय श्रीमान

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी महोदय सरदारशहर के स्थगन आदेश का हवाला दिया। इसी बीच हमने न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सरदारशहर से उनके स्थगन आदेश के बारे मे मार्गदशन चाहा। आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.06.2022 पर न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय से स्थगन आदेश का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया एवं इसी तारीख पेशी पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 प्रस्तुत किया गया।

आगामी निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 28.06.2022 पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आदेश 07 नियम 11 का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और जवाब हेतु समय चाहा। इसके पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.06.2022 पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जवाब पेश किया गया। हमने पत्रावली को आदेश 07 नियम 11 के जिरह/बहस हेतु प्रत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 04.07.2022 निर्धारित की। इसके पश्चात आगामी तारीख पेशी 12.07.2022 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में तथ्य प्रस्तुत किये कि हमने प्रार्थीगण को अपनी सीवं से रास्ता उपलब्ध करवा रखा है, साथ ही अंकित किया कि उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सरदारशहर का स्थगन आदेश है इसलिए हमारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में तथ्य बताये कि अप्रार्थीगण ने मूल प्रार्थना पत्र को लम्बित रखने के उद्येश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि summry trial (प्रार्थना पत्र) में उक्त प्रार्थना लागू नहीं होता।साथ ही अंकित किया कि अप्रार्थी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 न होकर मूल प्रार्थना पत्र का जवाब है इसलिए अप्रार्थी अधिवक्ता का आदेश 07 नियम 11 खारिज किया जावें।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। यह निष्कर्ष सामने आया कि अप्रार्थी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सारहीन है। इसी दौरान अप्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 07 प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र को शामिल किया। प्रार्थना पत्र पर मनन करने पर स्पष्ट हुआ कि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आदेश 39 नियम 07 का प्रार्थना पत्र मात्र पत्रावली को लम्बित रखने के उद्येश्य से प्रस्तुत किया है जिसका summry trial में कोई उद्येश्य नहीं है। इसलिए अप्रार्थी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 07 खारिज करने का निर्णय लिया।

इसके बाद आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.07.2022 को अप्रार्थी अधिवक्ता को मूल प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली में दिनांक 25.07.2022 निर्धारित की। निर्धारित तारीख पेशी 25.07.2022 को अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये, इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी अधिवक्ता कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते। फलस्वरूप पत्रावली में जवाब कार्यवाही बन्द की जाकर नियमानुसार निर्णय का फैसला लिया गया।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन, अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद मूल प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाना तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायालय श्रीमान

तहसीलदार
सरदारशहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar Meena
Date: 2022.08.03 14:34:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जारी स्थगन आदेश के कम में प्राप्त मागदर्शन व प्रार्थी अधिवक्ता द्वार गूगूल मैप से सेटेलाईट आधारित मानचित्र जिसमें रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है का सूक्ष्मता से अध्ययन किया, उपरोक्त सभी तथ्यों के परिपेक्ष्य में यह तथ्य निकलकर सामने आया कि प्रार्थीगण का सदामत का मूल रास्ता जो खसरा नं. 173 से होकर गुजरता था जिसको अप्रार्थीगण ने अवरूद्व कर रखा है।

कानून के सारभूत प्रावधानों के अनुसार सदामत के रास्ते को रोकने का किसी भी व्यक्ति को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा रोका गया रास्ता सदामत का रास्ता जो गूगल मैप से प्रदर्शित हो रहा है प्रार्थीगण के खेतों का एकमात्र रास्ता है जिसके रूक जाने से प्रार्थीगण का अपने खेत में आना–जाना बंद हो गया है। जिसकी वजह से प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः गैर कानूनी रूप से रोके गये गये उक्त सदामत रास्ते को खुलवाना हम उचित समझते है ताकि प्रार्थीगण या उनकी तरफ से कोई काश्तकार खेत ख.न. 133 व 149 रोही मौजा देराजसर में आना–जाना कर सके। अतः आदेश दिया जाता है कि सलंग्न मैप में दर्शाये गये सदामत के रास्ते को तुरन्त खुलवाया जावें । हल्का भू.अ.नि. के निर्देशन में निर्णय की पालना हेतु टीम गठित करने का आदेश जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमीली व तरतीबी दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार
सरदारशहर

कार्यालय–तहसीलदार सरदारशहर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar Meena
Date: 2022.08.03 11:34:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner